

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 246
TO BE ANSWERED ON THE 17TH MARCH, 2023**

CASHLESS FACILITIES TO PENSIONERS UNDER CGHS

**†*246. DR. SANJAY JAISWAL:
SHRI SRIDHAR KOTAGIRI:**

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

- (a) whether there is any mandatory provision to provide cashless treatment facility to the pensioner beneficiaries under Central Government Health Scheme (CGHS) when they are hospitalized in CGHS empanelled private hospitals;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether cashless treatment is currently not being extended to the pensioners when they are hospitalized in CGHS empanelled private hospitals;
- (d) if so, the measures taken by the Government to resume the cashless treatment facility for the CGHS pensioners on hospitalization; and
- (e) the details of the time-limit fixed for settlement of bills of expenditure incurred on treatment availed in the said hospitals by the CGHS pensioners?

**ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR MANSUKH MANDAVIYA)**

(a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 246 FOR 17TH MARCH, 2023**

(a) to (e) As per the terms and conditions of empanelment and Memorandum of Agreement between CGHS and private hospitals empaneled under CGHS, it is mandatory to provide cashless treatment facility to the pensioner beneficiaries under Central Government Health Scheme (CGHS) when they are hospitalized in CGHS empaneled private hospitals. Cashless treatment is being extended to the pensioner CGHS beneficiaries, when they are hospitalized in CGHS empaneled hospitals. Hospital bills amounting to Rs 2949 Crore have been settled in this financial year till date. Government has prescribed a time limit of 30 days for settlement of bills of expenditure incurred on treatment availed in the hospitals by pensioner CGHS beneficiaries, when no special approvals are involved.

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 246
17 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस के अंतर्गत पेंशनभोगियों को नकदी-रहित सुविधाएं

*246. डॉ. संजय जायसवाल:
श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत पेंशनभोगी लाभार्थियों को सीजीएचएस द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में नकदी रहित उपचार सुविधा प्रदान करने का कोई अनिवार्य प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में पेंशनभोगियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में नकदी रहित उपचार प्रदान नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीजीएचएस सुविधा लेने वाले पेंशनभोगियों के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उनके लिए नकदी रहित उपचार सुविधा पुनः आरंभ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगी लाभार्थियों द्वारा उक्त अस्पतालों में प्राप्त उपचार पर किए गए व्यय के बिलों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

17 मार्च, 2023 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 246 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड): पैन्लीकरण की अनुबंध व शर्तें तथा सीजीएचएस और सीजीएचएस के अंतर्गत पैन्लबद्ध निजी अस्पतालों के बीच करार ज्ञापन के अनुसार, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत पेंशनभोगी लाभार्थियों को सीजीएचएस के पैन्लबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर नकदी रहित उपचार सुविधा प्रदान करनी अनिवार्य है। नकदी रहित उपचार पेंशनभोगी सीजीएचएस लाभार्थियों को सीजीएचएस पैन्लबद्ध अस्पतालों में भर्ती होने पर दिया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में अभी तक कुल 2949 करोड़ रुपए की राशि के अस्पताल बिलों को निपटाया गया है। सरकार ने पेंशनभोगी सीजीएचएस लाभार्थियों द्वारा अस्पतालों में लिए गए ऐसे उपचार पर वहन किए गए व्यय के बिलों के निपटान के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की हुई है, जिनमें विशेष अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।
